लोक–सुनवाई का वृत

सर्वश्री रूद्रा माईनिंग एल.एल.पी., ग्राम+पोस्ट– परेव, थाना– बिहटा, जिला– पटना द्वारा किउल नदी स्थित मौजा– नगरदार, रेत ब्लॉक संख्या– 08 (कुल क्षेत्रफल– 33.2 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 19.06.2023 (सोमवार) को अपराह्न 03:00 बजे ई–किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला– लखीसराय** में लोक–सुनवाई की गयी।

यह लोक–सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2323/ 2023, दिनांक 01.03.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– "द टाइम्स ऑफ इंडिया", तथा "हिन्दुस्तान" के माध्यम से दिनांक **16.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतू लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतू अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना शर्मा ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा– नगरदार, रेत ब्लॉक संख्या– 08 (कुल क्षेत्रफल– 33.2 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा मेसर्स रूद्रा माईनिंग एल.एल.पी. को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 08 में प्रतिवर्ष 4,12,344 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹8.14 करोड़ (नीलामी लागत सहित) अनुमानित है।
2. बालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में विशेष उपाय दर्शाएं गए हैं।

3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र छोडा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं होगा। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतू अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्रित किए गए खनिज (बालू) को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतू प्रतिदिन कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री श्रवण कुमार मंडल, पिता– श्री सिद्धेश्वर मंडल, ग्राम पंचायत– इटौन, बट्टा रामपुर, जिला– लखीसराय द्वारा स्थानीय रोजगार की जानकारी मांगी गई।	खनन के कार्य में गांव के आसपास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाईजर, मजदूर, ढुलाई, चालक, रात्रि प्रहरी, रसोईया,

		वनपोषक आदि शामिल होंगे। खनन कार्य के लिए होने वाले भर्ती के संबंध में स्थानीय स्तर पर कमिटी बना कर लोगों को रोजगार संबंधित सूचना दी जाएगी।
2.	श्री श्रवण पटेल, ग्राम पंचायत-- रामपुर, जिला– लखीसराय के बालू के खनन एवं वाहनों के आवागमन के समय की जानकारी की मांग की गई। इसके साथ ही चालान कटने के स्थान की जानकारी भी मांगी गई।	प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बालू खनन एवं वाहनों के आवागमन दिन के समय में ही किया जाएगा। स्कूल के समय में किसी भी बालू के वाहनों का आवागमन नहीं किया जाएगा। बालू घाट से 500 मीटर की दूरी के अंदर ही चालान जारी किया जाएगा।
3.	श्री जितेन्द्र राय, पिता– श्री छेदी राय, ग्राम पंचायत– रामपुर, जिला– लखीसराय के द्वारा बालू खनन से उत्पन्न धूलकण के रोकथाम के उपायों की जानकारी मांगी गई एवं जल छिड़काव की आवृति को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो।	रास्तों पर कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर आवृति भी बढ़ाया जाएगी। साथ ही बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा जिससे धूलकणों का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सकेगा।
4.	श्री अमित कुमार, ग्राम– रामपुर, जिला– लखीसराय के द्वारा वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी मांगी गई।	पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि परियोजना में कुल 332 वृक्षों (प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष) का लगाया जाना प्रस्तावित है परंतु इससे अधिक सघन रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर वनपोषक नियुक्त किए जाएंगे।
5.	श्री प्रवीण कुमार, पिता– श्री नवीन कुमार, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय ग्राम– रामपुर, जिला– लखीसराय के द्वारा बालू के आवागमन से सड़क पर गिरने वाले बालू के उठाव की बारे में जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बालू के आवागमन में गिरने वाले बालू का नियमित रूप से उठाव किया जायगा। साथ ही सामाजिक पर्यावरणीय दायित्व के अंतर्गत परियोजना में लगने वाले की राशि का 2 प्रतिशत स्थानीय लोगों के विकास (स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, स्कूल में किताबें, मंदिर, चबूतरा के निर्माण इत्यादि) के लिए खर्च किया जाएगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। जल स्तर की कमी को रोकने के लिए छोटे--छोटे तालाबों के माध्यम से Water Harvesting का कार्य किया जाएगा। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतू वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर प्रदूषण को नियंत्रित करने की कार्रवाई की जाएगी।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम् प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
बेगूसराय।

अपर समाहर्ता
लखीसराय।

की सूचना

उपस्थिति सूची

सर्वश्री रूद्रा माईनिंग एल.एल.पी., ग्राम+पोस्ट– परेव, थाना– बिहटा, जिला– पटना के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत मौजा– नगरदार, रेत ब्लॉक संख्या– 08 (कुल क्षेत्रफल– 33.2 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व ई–किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला– लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 19.06.2023 (सोमवार) को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित लोक–सुनवाई में स्थानीय लोगो एवं पदाधिकारीगण की स्वःहस्ताक्षरित उपस्थिति–

क्र0सं0	नाम / पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता	जिला- लखीसराय	[signature] 19/6/23
2	श्री [illegible] राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी	बिहार रा. प्र. नि. पर्षद, बरौनी, बेगूसराय	[signature] 19.6.2023
3	श्री सुनील कुमार, खान निरीक्षक, लखीसराय	जिला- लखीसराय	[signature] 19/06/2023
4	[illegible] on behalf of Rudramining	Parev, Bihta Patna.	N. [illegible]
5	MUNNA SHARMA	Rian Enviro Pvt Ltd. Patna	[signature]
6	Satish Kumar	Rian Enviro. Pvt. Ltd	[signature]
7	अजय कुमार	लखीसराय	[signature]
8	रविन्द्र प्रसाद	लखीसराय	[signature]
9	अमित कुमार	ग्रा0+पो0- बड़हिया जिला- लखीसराय	अमित कुमार
10	गोलू कुमार	ग्रा0+पो0- बड़हिया जिला- लखीसराय	गोलू कुमार
11	सुनील कुमार	ग्राम- [illegible], पो0 [illegible] थाना- [illegible]	सुनील कुमार
12	अमर राम	ग्राम+पो0- [illegible] जिला- [illegible]	[signature]
13	[illegible] राय	ग्रा0+पो0- [illegible], बेगूसराय	[signature]

14.	महेश्वर राय	ग्राम+पो० रुपिनाही थाना बखरी जिला बेगूसराय	महेश्वर राय
15	संदीप कुमार सिंह	ग्राम पो० बड़हिया	संदीप कुमार सिंह
16	दुलचन्द पासवान	ग्राम+पो० बेगूसराय	
17	संजय राय	सिमरीया घाट बिनटोली बेगूसराय	संजय राय
18	वाल्मीकी शर्मा	मंझार	वाल्मीकी शर्मा
19	धनंजय कु० मंडल	बहारामपुर	[illegible]
20	सूरज शर्मा	[illegible]	सूरज शर्मा
21.	विजय कुमार	मलपुर	विजय कुमार
22.	सोनू कुमार	पिपरिया	Sonu kumar
23.	विशाल कुमार	मंडार	Vishal K
24	करन कुमार	संग्रामपुर	Karan-K
25	गौतम कुमार	नगरदार	Gautam Kr
26	गुलशन कुमार	रामपुरबरी	Gulshan Kumar
27	Pritam Kumar	नागरदार	Pritam Kumar
28	[illegible]	मानपुर	[illegible]
29	RaJ KumaR	[illegible]	RaJ KumaR
30	Prem Kumar	[illegible]	Prem Kumar
31	Kamdev Kr	[illegible]	Kamdev Kr

32	रोहित कुमार	नगरदारी	रोहित कुमार
33	Ravi kumar	रामपुरपेड़ा	Ravi Kumar
34	मानिककुमार	संगारनपुर	मानिककुमार
35	अजीत कुमार	नगरधारी	अजीत कुमा
36	अनील कुमार	इटौन	अनीलकुमार
37	मिथलेश कुमार	नागनपुर	मिथलेश कुमार
38	मंटू रावत	संगारनपुर	मंटू रावत
39	रंजीत राम	नगरदारी	रंजीत राम
40	मुकेश कुमार	नागपुर	मुकेश कुमार
41	प्रवीण कुमार	रामपुर	प्रवीण कुमार
42	मुन्ना गोंडी	नगरदारी	मुन्ना गोंडी
43	श्रवण पटेल	संग्रामपुर	श्रवणपटेल
44	रामपरीसकुमार	इटौन	राम परीस कुमार
45	रौशन कुमार	बड़हिया	Raushan Kr
46	Kishan Singh	Barhiya	Kishan
47	Chandan Kumar Singh	Barhiya	[signature]